न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/536

मोती आयु 70 वर्ष आत्मज श्री अणदा जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 का पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी मोती आत्मज अणदा जाति कुमावत को ग्राम खटावदा की आराजी खसरा नम्बर 462 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 819/462 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 5.00 बीघा भूमि दिनांक 05.01.1976 को आवंटित हुई थी । आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है और आवंटी द्वारा भूमि की किश्त मय ब्याज जमा नहीं की है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 05.01.1976 निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2016 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी मोती के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 05.01.1976 निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश

पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की कोई तामील अपीलान्ट अप्रार्थी पर नहीं हुई है और न ही अपीलान्ट के परिवार के किसी व्यस्क सदस्य पर उक्त नोटिस की तामील हुई है जिस व्यक्ति महावीर पर नोटिस की तामील होना अंकित किया गया है उस नाम का कोई व्यक्ति अपीलान्ट के परिवार में नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर आवंटन के बाद से कब्जा काश्त है और आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त बकाया राशि जमा करवा दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पातिर कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.07.2016 को पटवारी हल्का द्वारा आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिये जाने की कहने पर हुई । जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवाई है । तलवी रिपोर्ट में किसी महावीर कुमावत को तामील करवाया जाना अंकित किया गया है जो अपीलान्ट के परिवार का सदस्य नहीं है । पत्रावली में जो खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति पेश की है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर फसल की गई है । अपीलान्ट ने आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है । तहसीलदार के प्रार्थना पत्र में भाईयों के साथ विवाद को आधार बताकर आवंटन खारिज करने की प्रार्थी की गई, भाईयों के विवाद के आधार पर आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्ष 1976 में अपीलान्ट को आवंटित हुई थी । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था परन्तु उन्होंने अपने पक्ष को नहीं रखा । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को जो नोटिस जारी किया गया है उसमें किसी महावीर कुमावत के हस्ताक्षर हैं । यह महावीर अपीलान्ट का क्या लगता है, इस तामील पर अंकित नहीं है । अपीलान्ट का यह कथन है कि महावीर कुमावत उनके परिवार का सदस्य नहीं है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068–2071 पेश की गई है उसमें आवंटी द्वारा फसल किया जाना अंकित है । मौका पर्चा जो जारी किया गया है उसमें मौके पर विवाद होना बताया गया है । तहसीलदार के प्रार्थना पत्र में भी मौके पर गैर खातेदार एवं अन्य भाईयों में विवाद होना अंकित किया गया है । आवंटी का यदि अपने भाईयों के साथ मौके पर विवाद है तो यह आवंटन निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधि सम्मत रूप से तामील भी नहीं करवाई है। हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा